भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
मत्स्यपालन विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1433
09 दिसंबर, 2025 को उत्तर के लिए

पारंपरिक मछुआरों पर गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले जहाजों का प्रभाव

1433. श्री हैबी ईडन:

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि विदेश मंत्रालय द्वारा हाल ही में जहाजों को गहरे समुद्र और तटीय जल में मछली पकड़ने की अनुमति देने से केरल के पारंपरिक मछुआरों में गंभीर चिंता पैदा हो गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठाए हैं कि इन तटीय जलों में मछली पकड़ने की गतिविधियों के लिए दी गई अनुमति का फ़ायदा सिर्फ़ असली मछुआरों की सहकारिता को मिले, न कि बड़ी निजी कंपनियों या लोगों को और यदि हाँ, तो इसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार इस बात की व्यापक आशंका के मद्देनजर उक्त अनुमति की समीक्षा करेगी या उसे वापस लेगी कि इससे तटीय मछली पकड़ने पर एकाधिकार हो जाएगा और पारंपरिक मछुआरों की आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री
(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क) से (ग): विदेश मंत्रालय ने, 04 नवंबर, 2025 को प्रादेशिक जल, महाद्वीपीय शेल्फ, अनन्य आर्थिक क्षेत्र और अन्य समुद्री क्षेत्र अधिनियम, 1976 के तहत अनन्य आर्थिक क्षेत्र में मात्स्यिकी का सतत उपयोग नियम, 2025 अधिसूचित किया है । ये नियम प्रादेशिक जल (टेरिटोरियल वाटर्स) से आगे EEZ क्षेत्र पर लागू होते हैं । इस ऐतिहासिक पहल का उद्देश्य पारंपरिक और छोटे पैमाने के मछुआरों, मत्स्य सहकारी समितियों और मत्स्य किसान उत्पादक संगठनों (FFPOs) को मत्स्यन परिचालन का विस्तार करने, डीप सी फिशिंग द्वारा अप्रयुक्त संसाधनों का उपयोग करने और प्रसंस्करण एवं निर्यात के माध्यम से नई आय धाराओं तक पहुंचने हेतु सशक्त बनाना है, जिससे आजीविका में वृद्धि हो सके।

ये नियम व्यापक हितधारक परामर्श के बाद तैयार किए गए हैं। मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार ने फरवरी से सितंबर 2025 तक विभिन्न हितधारकों के साथ अनेक बैठकें आयोजित कीं, जिनमें संबंधित केंद्रीय सरकारी मंत्रालय/विभाग, तटीय सुरक्षा एजेंसियाँ, तटीय राज्य/केंद्र शासित प्रदेश, अनुसंधान संस्थान, मछुआरा संघ, सहकारी समितियाँ आदि शामिल थे। इसके अतिरिक्त, मसौदा नियमों को एक महीने की अवधि के लिए सार्वजनिक डोमेन में भी रखा गया, ताकि आम जनता और हितधारकों से सुझाव और टिप्पणियाँ आमंत्रित की जा सकें। कुछ राज्य/केंद्रशासित प्रदेशों और अन्य हितधारकों के अनुरोध पर सार्वजनिक परामर्श की अवधि को 15 दिन और बढ़ाया गया। प्राप्त प्रासंगिक सुझावों के आधार पर मसौदा नियमों में तत्पश्चात संशोधन किया गया। साथ ही, भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण और राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड, संबंधित तटीय राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के मात्स्यिकी विभाग के साथ मिलकर मछुआरों को EEZ नियमों के प्रावधानों के बारे में जागरूक कर रहे हैं, ताकि किसी भी प्रकार की आशंका या भ्रामक जानकारी को दूर किया जा सके।

मत्स्यपालन विभाग "होल ऑफ गवर्नमेंट एप्रोच" को अपनाते हुए छोटे पैमाने के मछुआरों, मछुआरा सहकारी समितियों तथा फिश फ़ार्मर प्रोड्यूसर ओरगेनाईज़ेशन्स (FFPO) को डीप सी फिशिंग, पोस्ट हारवेस्ट हैंडिलिंग, प्रोसेसिंग और एक्सपोर्ट के क्षेत्रों में प्रोत्साहित करने के लिए सहकारिता मंत्रालय के साथ एक जाइंट वर्किंग ग्रुप (JWG) के माध्यम से सहयोग कर रहा है। सहकारिता मंत्रालय, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम / नेशनल कोओपरेटिव डेवलपमेंट कोरपोरेशन (NCDC) के माध्यम से सहकारी ऋण तक पहुंच को सुगम बनाकर और सहकारी संस्थानों को सुदृढ़ कर इस पहल का सपोर्ट करता है। उदाहरण के तौर पर, महाराष्ट्र में 14 डीप सी फिशिंग वेसेल्स (DSFV) को NCDC द्वारा कुल 20.30 करोड़ रुपए की परियोजना लागत के साथ सहयोग प्रदान किया गया है, जिसमें 11.55 करोड़ रुपए की NCDC ऋण सहायता, 6.72 करोड़ रुपए की PMMSY सहायता और 2.03 करोड़ रुपए का समिति अंशदान शामिल है। इसी मॉडल को अपनाते हुए मुंबई शहर के मछुआरों की दो समितियों को हाल ही में 27.10.2025 को PMMSY के तहत 02 DSFV प्राप्त हुए हैं। यह पहल मात्स्यिकी क्षेत्र में सहकारिता-आधारित विकास का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जो हमारे मछुआरों को गहरे समुद्र में जाने तथा अप्रयुक्त संसाधनों का सतत और आर्थिक रूप से लाभकारी दोहन करने में सक्षम बनाती है। यह व्यवस्था छोटे स्तर के मछुआरों और उनकी सहकारी समितियों को आधुनिक DSFV प्राप्त करने और उनका प्रभावी संचालन करने हेतु ऋण सहायता, आधुनिक तकनीक, प्रशिक्षण और बीमा प्रदान करने के लिए सरकार के प्रयासों को और सशक्त बनाती है।

*****